न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

97/2025

आज्ञा – पत्र

मांगीलाल बनाम नट्टी बाई किस्म मुकदमा –225 अपील संख्या – 2025/191

अभिभाषक अपीलांट – श्री रविन्द्र खण्डेलवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.09.2025	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बारां के प्रकरण संख्या 02/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2025 बउनवान मांगीलाल बनाम नट्टी बाई के विरूद्ध इस न्यायालय के पेश की गयी है। अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति के सदस्य है, जो प्रथागत कानून व पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते है। अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम–1 के अनुसूचित जाति के सदस्य होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वादविषयक भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के पति भंवरलाल के खाते मे अपीलान्ट के परदादा देवलाल से विरासतन दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के पति भंवरलाल जी लाऔलाद फौत हुये है जिसके कारण पुरानी हिन्दू विधि व प्रथागत कानून के अनुसार उक्त भूमि भंवरलाल जी के पारिवारिक सदस्य भतीजे एवं उनके रिवीजनर्स वादी अपीलान्ट को प्राप्त हुई है और भंवरलाल जी की विधवा रेस्पो० क्रम 1 नटी बाई को उक्त भूमि से केवल अपने जीवनकाल तक भरणपोषण प्राप्त करने का ही समिति अधिकार है एवं कानूनन भंवरलाल जी की विधवा रेस्पो० क्रम–1 को उक्त भूमि को किसी भी रूप में बैचान व खुर्द बुर्द करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य गंभीर सारवान विवाद अर्न्तग्रस्त है जिनका निस्तारण साक्ष्य के पश्चात मूल वाद में होगा ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है और प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णिय क्षति का बिन्दु अपीलान्ट वादी के पक्ष में निहित है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से अपीलान्ट को अंतरिम निषेधज्ञा प्रार्थना को खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट को भंवरलाल जी का पगड़ी पुत्र होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी में अपीलांट हक अधिकार निहित है। यदि दौराने वाद यदि रेस्पो० क्रम–1 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को बैचान व खुर्द बुर्द कर दिया गया तो उक्त वाद मे विचारण के लिये कुछ नही बचेगा और पक्षकारान के मध्य गंभीर वाद विवाद व वादो की बाहूल्यता उत्पन्न हो जावेगी और अपीलान्ट के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में वांछित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा	

...2

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

प्रसारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अन्त में ताफैसला अपील रेस्पो० को पाबन्द किया जावे कि अपील के निस्तारण तक रेस्पो० वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बैंगनी तहसील बारां जिला बारां की खसरा नम्बर–249,खसरा नम्बर–250 , खसरा नम्बर–336, खसरा नम्बर–365, खसरा नम्बर–374, खसरा नम्बर–588, खसरा नम्बर–959, खसरा नम्बर–960, खसरा नम्बर–961, खसरा नम्बर–965 कुल 10 किता की रकबा 8.06 हे० भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन बैचान ना करें और प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलअंदाजी ना करें और प्रार्थी को बेदखल ना करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.01.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.01.2025 में प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थी के स्थगन की प्रार्थना खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.03.2025 नियत की है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय् में विचाराधीन है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.10.2025 नियत है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 03.01.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः हस्तगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार भंवरलाल का भतीजा व परिवार का सदस्य है तथा भंवरलाल लाऔलाद फोत हो चुका है तथा अपीलांट भंवरलाल का पगड़ी पुत्र है। अपीलांट का यह भी कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जो पुराने हिन्दु उत्तराधिकार से शासित होते है जिसके अनुसार पुश्तैनी भूमि में विधवा को केवल अपने जीवनकाल तक ही भरण पोषण प्राप्त करने तक का ही सीमित अधिकार प्राप्त है तथा भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के उत्तराधिकारी एवं हक अधिकार को लेकर विधि के महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण के उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है अतः उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र में कानूनी सारभूत बिन्दु अन्तर्निहित है अतः अंतरिम स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है। अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 सी.पी. सी. की पालना करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

...3

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बैंगनी तहसील बारां जिला बारां की खाता संख्या नया 148 पुराना 146 की कुल 10 किता की रकबा 8.06 हे० भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन बैचान ना करें । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी कोटा राज0

मांगीलाल आयु–59 वर्ष पुत्र श्री खेमलाल जाति–मीनना निवासी–ग्राम बैगनी तहसील बारां जिला बारां राज0

––अपीलान्ट

––बनाम––

1–नट्टी बाई पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल जाति–मीना निवासी–ग्राम बैगनी तहसील बारां जिला बारां राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां

3–श्रीमान उपपंजीयक महोदय बारां जिला बारां

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी आदेश दिनांक–03.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां राज0 प्रकरण संख्या–02/2025 बउनवान मांगीलाल बनाम नट्टी बाई व अन्य अन्तर्गत ध ारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करता है कि:–

1– यह कि आदेश जेर अपील न्याय एवं संचिका मे सिद्वी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मांगीलाल

––2